संख्या-596/2023/4089/41-2023/25 (सा०)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2023

विषय:- जनपद कुशीनगर की तहसील कसया में स्थित संस्कृति विभाग की मैत्रेय परियोजना की भूमि को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) नीति के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के माध्यम से विकसित किये जाने के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपने पत्र सं0-629/8-16(PPP)/मैत्रेय परि०,कुशीनगर/ 2023, दिनांक 09.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद कुशीनगर की तहसील कसया में स्थित संस्कृति विभाग की मैत्रेय परियोजना की भूमि को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) नीति के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के माध्यम से विकसित किये जाने के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित है कि जनपद कुशीनगर में गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर पर्यटन विकास के लिए वर्ष 2003 तथा अनुपूरक एम0ओ0यू0 दिनांक 14-11-2014 में मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य एक एम0ओ0यू निष्पादित किया गया था, जिसमें जनपद कुशीनगर की तहसील-कसया में स्थित कुल 04 ग्रामों यथा कसया, विशुनपुर, विन्दवलिया तथा अनरूद्धवा में स्थित भूधारको की निर्धारित 250.83 एकड़ भूमि व ग्राम सभा की 16.69 एकड़ भूमि ली जानी थी। इस संबंध में जिलाधिकारी, कुशीनगर के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-1190/ भूमिसुधार-2022, दिनांक 16-12-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद कुशीनगर की तहसील-कसया में स्थित उपरोक्तानुसार कुल 04 ग्रामों में अब तक 179.13 एकड भूमिधरी भूमि व 16.69 एकड़ ग्राम सभा की भूमि ली जा चुकी है। इस प्रकार कुल उपलब्ध 195.82 एकड़ भूमि की लीज डीड मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट के पक्ष में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपादित की गयी थी। मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2003 से कई वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी एम0ओ०यू० तथा लीज डीड के प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण संस्कृति अनुभाग के शासनादेश संख्या-2492 / चार-2019. दिनांक 13-11-2019 द्वारा राज्य सरकार ने मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट के मध्य निष्पादित एम०ओ०यू० दिनांक 09-05-2003 तथा अनुपूरक एम0ओ0यू0 दिनांक 14-11-2014 एवं लीज डीड दिनांक 19-08-2016 को निरस्त कर दिया है, जिसके उपरान्त उपरोक्त अधिग्रहीत एवं पुनग्रहीत की भूमि संस्कृति विभाग के स्वामित्व में है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- जनपद कुशीनगर के ग्राम कसया में उपलब्ध उक्त भूमि, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के अत्यन्त नजदीक है, को प्रथम फेज मानते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत दिनांक 27-11-2012 को प्रतिकर निर्धारण करते हुए अवार्ड घोषित कर भूधारकों को भूमि का प्रतिकर वितरण कार्य दिसम्बर, 2012 में प्रारम्भ किया गया, जिसमें सम्मिलित जनपद कुशीनगर के ग्राम कसया, सबया, विशुनपुर विन्दवलिया व अनुरूद्धवा (आंशिक) नगर पालिका परिषद, कुशीनगर में समाहित है, प्रथम फेज में भूमि ग्राम सबया में 65.77 एकड, ग्राम कसया में 09:40 एकड़, ग्राम अनुरूद्धवा (आंशिक) में 59.60 एकड़ तथा ग्राम विशुनपुर विन्दवलिया में 44.36 एकड़, कुल भूमि 179.13 एकड़, इसके अतिरिक्त ग्राम सभा की भूमि ग्राम सबया में 04.30 एकड़, ग्राम कसया में 03.69 एकड़, ग्राम अनुरूद्धवा (आंशिक) में 01.95 एकड़ तथा ग्राम विशुनपुर विन्दवलिया में 06.75 एकड़ कुल भूमि 16.69 एकड़, इस प्रकार भूधारको से प्राप्त भूमि 179.13 एकड़ एवं ग्राम सभा की भूमि 16.69 एकड़ अर्थात कुल भूमि 195.82 एकड़ संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज है।

4- इस क्रम में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के अत्यन्त निकट जनपद कुशीनगर की तहसील कसया में स्थित संस्कृति विभाग की मैत्रेय परियोजना की कुल भूमि 195.82 एकड़ में से 50 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित की जानी प्रस्तावित है।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर की तहसील कसया में स्थित संस्कृति विभाग की मैत्रेय परियोजना की भूमि को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) नीति के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के माध्यम से विकसित किये जाने के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.09.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(क) जनपद कुशीनगर में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज भूधारको से अधिग्रहीत 179.13 एकड़ भूमि एवं ग्राम सभा की पुनर्ग्रहीत 16.69 एकड़ भूमि अर्थात कुल 195.82 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि पी०पी०पी० मोड पर पर्यटन सुविधाओ के विकास एवं विस्तार हेतु संस्कृति विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा।

(ख) उक्त भूमि को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) प्रकरण में अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

6- उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) वर्तमान संगत भू-राजस्व से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों में निहित प्राविधानों तथा मा0 उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निणय का अनुपालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा। प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से सम्बंधित समस्त राजस्व अभिलेखों की पुष्टि करने के उपरान्त सन्तुष्ट होते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(2) उक्त परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) परियोजना के विकास एवं संचालन हेतु पी०पी०पी० गाइडलाइन्स-2016 (यथासंशोधित 2018) में निहित प्राविधानों के अनुपालन में किसी विचलन की स्थिति उत्पन न होना सुनिश्चित की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव ।

संख्या व दिनांक तदेव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ०प्र०।
5. **अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव**
   संस्कृति विभाग/राजस्व विभाग/वित्त विभाग/न्याय विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ। 8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिद।

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।